

2018/05/18  
 (1)  
 जिला सप्लाइ अधिकारी अनुपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान  
 भवण सिंह वचाम् सुखदेव सिंह नगैरह

कारण संख्या २८३ / 2018

कारण - अर्लत धारा 212 आर टी एक्ट

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के जम्हूरताक्षर	आदेश की माजना में की गई कार्यवाही
19/04/2018	<p>आज यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से जरिये नकील एक प्रार्थना-पत्र धारा 212 राजस्थान अधिनियम के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे।</p> <p>नकील प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का महनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है अतः इस आशय की अंतरित अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि चक 4 एपीएम तहसील अनुपगढ़ का पत्थर न. 316/420 मुरब्बा नं० 28 के किला नम्बर 1ता6 की कुल 1.283 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि के मौका व रिकार्ड की आगामी आदेश दिनांक 30.05.2018 तक यथास्थिति बनाए रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए जाते हैं।</p> <p>सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक-30.05.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>सप खण्ड अधिकारी</b>  <b>अनुपगढ़</b></p>	

23/5/18 आज यह पत्रावली प्रार्थी शरण कुमार अणुपरिह नकील प्रार्थना-पत्र पेश करने पर प्रार्थी में ली गई पत्रावली वाले काँग्रेस दिनांक 24/5/18 को पेश हो।

23/5/18  
 24/5/18  
 28

245  
18

पञ्जाबी प्रहृत खवाइ खादिज ले  
पुका ह्ये इतलिये प्राण पत्र मे आये  
कारिगरी जेकरा रचना डोपिपरीन ह्ये  
प्राण पत्र इकी त्वा पर खादिज किदा  
आता ह्ये पञ्जाबी निष्ठाउकाए दाजित  
दस्त ले नम्ब ले कम ह्ये

